P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-2) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

जोधपुर की न्याय व्यवस्था – ठिकानों में स्त्रियोंके विशेष सन्दर्भ में

जयश्री तवँर
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
जयनारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर,
राजस्थान, भारत

सारांश

जोधपुर राज्य में न्याय व्यवस्था के अनेको सूत्र मारवाड़ राजघरानों की बहियो में मौजूद है जिनमें प्रमुख रूप से रनिवास की हथखर्च की बहिया, महाराजा तख्तसिंह कालीन जोधपुर कचेडी तालके हुकुम रूक्का की बही महत्वपूर्ण है इसी के साथ जोधपुर की सनद बहियों में स्त्रियोंसंबंधी हुए अपराध व अपने क्षेत्रों में होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में किये जाने वाले न्याय का हवाला मिलता है। महाराजा मानसिंह कालीन महारानी तीजा भटियाणी जी की हथबही (वि.स.1918) जो एक प्रकार से दैनिक डायरी का रूप है इसमें महारानी द्वारा लोगों को दिये गये आदेश व परवानों की नकल मिलती है बही के अनुसार महारानी तीजा भटियाणी को जोधपुर के कुछ गांव पट्टे में मिले हुये थे और इन गाँव में महारानी द्वारा लिये गये निर्णय का ब्यौरा भी बही में मिलता है साथ ही अपने पट्टे के गाँव में एक व्यापारी की समस्या का हल कर उसका न्याय भी किया गया। इसी प्रकार एक सनद बही में जायल गाँव की घटना सामने आयी जिसमें कुछ व्यक्ति एक लड़की को अपशब्द कह देते है जिससे दुःखी होकर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली इसके बाद लड़की के पिता को उन व्यक्तियों द्वारा 100/– रूपये दण्ड के दिये जाने नियत हुये।

मुख्य शब्द : तमत, तलब, सनद परवाना, पट्टाधारी रानियां, हुकम रूक्का की बही, हकीकत बही, हाकम के दफ्तर की बही।

प्रस्तावना

वर्तमान राजस्थान में जो दण्ड व्यवस्था जारी रही, उसका प्रारूप मध्यकालीन राजपूताने के राजघरानों से लिया गया है जिनमें हम देखते है कि आज भी प्राथमिक स्त्रोत के रूप में बहीयां उपलब्ध है बहीयों में उल्लेख मिलता है कि उस समय नारियों का न्यायिक क्षेत्र में योगदान और उनकी भूमिका अहम रही क्योंकि बहीयों का अध्ययन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि कहीं – कहीं स्त्रियों के साथ जो अन्याय होते थे उनके बाबत् भी उस समय के महाराजा द्वारा दण्ड की व्यवस्था का प्रावधान था, चाहे वो आर्थिक दण्ड हो या शारीरिक प्रड़ताडना का दण्ड हो ये जोधपुर की स्त्रियों के प्रति किये गये अत्याचारों के विरूद्ध दण्ड व्यवस्था थी, शायद इन रजवाड़ों ने ऋग्वेदिक या उत्तरवेदिक सभ्यता से ये सब ग्रहण किया होगा क्योंकि ऋग्वैद में इस प्रकार के उल्लेख पाये जाते है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. प्रस्तुत लेख का उद्वेश्य इस प्रकार के सूत्रों की ओर शोधार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना है।
2. इस प्रकार की बहीयों का यदि विस्तार से अध्ययन किया जाये तो अपराध एवं दण्ड सम्बन्धित व्यवस्था की अनेक नवीन जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है।
3. तत्कालीन न्याय व्यवस्था व वर्तमान की न्यायिक व्यवस्था में अन्तर स्पष्ट करना भी इस आलेख का उद्वेश्य है।

लेख

जोधपुर की बहियों में न्याय व्यवस्था के अनेक सूत्र प्राप्त होते है। इन बहियों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियां, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चित्रण की जानकारियां मिलती है। इसी के साथ जोधपुर व आसपास के क्षेत्रीय भू–भाग में भी अपराध एवं दण्ड के सूत्रों का मिलना प्रतीत होता है। अपराधो में भी विभिन्न प्रकार के अपराध दृष्टिगोचर होते है, जिनमें स्त्रियों के द्वारा न्याय और दण्ड की जानकारियाँ प्राप्त होती है जैसे – ठिकानों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न गांव व रानियों को हथखर्च के रूप में दिये गये गांवों के पट्टों में भी उनकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और होने वाले अपराधो के कारण न्याय

किये जाने के कई पहलू उजागर होते है। जोधपुर राज्य में महिलाओं से सम्बन्धित अपराधो के सन्दर्भ में जोधपुर राज्य की हकीकत बही व सनद परवाना बही में महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। जिनमें राज्य के प्रशासनिक घटनाक्रम के साथ ही साथ दण्ड व्यवस्था के अनेक सूत्र उद्घटित होते है। हाकिमों के दफ्तर की बहियों में अलग–अलग परगनों में हुये महिला अपराध पर सटीक जानकारी दी गई मिलती है, जहॉ हाकिमों के दफ्तर की बहियॉ महत्वपूर्ण है वही रणिवास की हथखर्च की बहियां भी विशेष महत्व रखती है। जिनमें रानियों को पट्टो में मिले गांव का ब्यौरा दिया गया है। इसमें स्त्रियों के अपराधो पर भी जानकारी प्राप्त होती है। और इन पत्र दस्तावेजों में यह भी ज्ञात होता है कि पट्टाधारी रानियो कों उनके अधीनस्थ आने वाले गांव में हुये अपराध पर अपना फैसला सुनाने का अधिकार प्राप्त था। सनद परवाना बहियों से महिला अपराध के कई चरणो में जैसे– यदि महिला पर हत्या का आरोप लगता था तो उसे राज्य से बाहर निकालने के सूत्र हकीमों के दफ्तर की बहियों में व अलग–अलग परगनों में हुये महिला अपराध पर सटीक जानकारी दी गई है। इसके साथ ही चोरी के अपराध में कारावास की सजा का भी उल्लेख मिलता है। महाराजा तख्तसिंह कालीन जोधपुर कचेडी तालके हुकम–रूक्का की बही (विक्रमी संवत 1912) में स्त्रियों से सम्बन्धित होने वाले अपराध व उन्हें रोके जाने के सन्दर्भ मिलते है यथा– वि0सं0 1912 की ज्येष्ठ शुक्ल 9 को दरीबा एवं नावा कचेडी में सतीप्रथा पर रोक लगाये जाने का उल्लेख मिलता है। इस बही में स्पष्ट है कि '' जो कोई सती हो या फिर समाधि आदि ले तो उसे रोका जाए, सभी को सूचना दी गई कि ऐसा कार्य होने पर रोका जाए, और यदि कोई जबरन सती हो जाती है तो पत्र के माध्यम से उसकी सूचना अतिशीघ्र जोधपुर भेजी जाए। यदि उक्त बात पर किसी प्रकार का ध्यान न दिया गया तो इसके लिए निश्चित रूप से हाकम जिम्मेदार होगा और उसे पद से हटाये जाने की बात दृष्टिगोचर होती है। अतः ऊपर लिखित बातों पर ध्यान देते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही नही बरते, यह श्री हजूर का आदेश है[1] इसी प्रकार सोपला गांव में एक स्त्री के द्वारा अपनी पति की हत्या किए जाने एवं उसे दण्ड दिये जाने का उल्लेख भी बही में मिलता है। वि0सं0 1912 की भाद्रपद शुक्ल 8 को जोधपुर चौतरे के सन्दर्भ में उल्लेखित है कि '' जोधपुर के सोपला गांव के माली बिरधा की हत्या उसकी पत्नी द्वारा कर दी गई। वि0सं0 1911 की दुतीक अषाढ़ शुक्ल 14 को उसे फौजदारी अदालत में बुलाया गया व हकीकत पूछने पर उसने स्वीकारा कि मैनें अपने पति की हत्या तलवार से की है, इसके पश्चात उसे कैद में डाल दिया गया। और दण्ड स्वरूप आदेश जारी किया कि इस स्त्री के बाल मुंडवाकर काला मुॅह करके, ललाट पर कौए का पंजा अंकित कर गधे पर बिठावें और शहर में घुमाया जावें और इसके बाद उसे शहर से बाहर निकाल दिया जावे''। इस प्रकार हत्या एवं उसके दण्ड स्वरूप स्त्री को बेइज्जत कर देश निकाला देने के सूत्र मिलते है [2] इसी के साथ राणियों द्वारा अपने पट्टे में मिले गांव में अपराधो पर सजा सुनाने और समस्या का निराकरण करने के सूत्रों में महाराजा मानसिंह की महारानी तीजा भटयाणी की हथबही वि0सं0 1918 में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह हथबही दैनिक डायरी का भी एक स्वरूप है, इसमें महारानी द्वारा दिये गये आदेश, परवानें और उनकी नकल के सूत्र प्राप्त होते है। तीजा भटयाणी जाखण ठिकाने के ठाकुर गोयन्ददास की पुत्री प्रताप कुंवरी थी जिन्हें महाराजा मानसिंह की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यें एक विदुषी महिला थी, इनका विवाह महाराजा मानसिंह से 16 वर्ष की आयु में हुआ था।[3] महारानी तीजा भटयाणी को जोधपुर के गांव बावडी, फलौदी परगने का गांव भौजासर, गौडवाड परगने का गांव डेण्डा और सोजत का गांव मेलावास, और मेडता परगने का गांव पादू पट्टे में मिला हुआ था। इन गांवों में महारानी द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिये जाने के उदाहरण मिलते है। यथा– ''गढ जोधपुर के गॉव बावडी का एक व्यापारी जालमचन्द जो बावडी गॉव के जमींदार के व्यवहार से बहुत परेशान था, जब इसकी शिकायत महारानी को हुई तब उन्होनें शाह जालमचन्द को लिखा कि ''तुम विश्वास और धैर्य रखकर व्यापार का कार्य करते रहो, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार नही होगा और यहां तुम्हारे बारे में जो चुगली की गई है उसका समाधान कर लिया गया है''।[4] इसी प्रकार सनद बही नं. 2 में अपहरण का मामला भी दृष्टिगोचर होता है यथा– वैसाख सुद 8 रव संवत 1824 मु0 मेडते

।। तथा पाली रा पालीवाल गतां रिमरी मामी नै भाई री बहू मेवाड जावता था, सू गॉव धामणियॉ रा भौमिया कुंपावत ओनाड़सींघ ने हेमसींघ पकड ले गया सूं गॉव कर मालम है सौ हर तरे जतन कर इणरी मामी ने भौजाई छूट सूं जतन करजौ, दु0 डोढीदार अणदू।[5]

इसी प्रकार अपराध के सूत्र में अगवाह करने के सूत्र भी प्राप्त होते है। इसी के साथ जायल गांव में एक ब्राहम्ण मन्ना खण्डेलवाल की पुत्री को कुछ व्यक्तियों द्वारा अपशब्द कहे जाने से दुखी होकर उस लडकी द्वारा कटारी खाकर आत्मघात कर लिया जाता है। तब राज्य की ओर से जायल के जागीरदार से भोग हासल में से 100 रू0 मन्ना ब्राहम्ण को दिलाने का आदेश जारी किया गया।

यथा

।। मींगसर सुद 10 रीव सं. 1821

।। तथा गॉव जायल में हाडा दलेलसींघ जी रा आदमी षेत मापता व्रीमण मंना षडेलवाल री बेटी नुं गैर जबां बोलिया तिण ऊपर मनां री बेटी कटारी शाय मुई सुं दरबार सुं रूपीया 100/– एक सो जायल में जागीरदार रै भोग हासल म्हा सूं व्रामण मनां नुं दीराया है तीण रो परवानो कराय दीयो है सुं जायल रा लोग कनै जागीरदार रै हासल में रूपीया एक सो पहैला ईण व्रामण नुं दीराय देजो श्री हजुर रो हुकम छै।।[6]

इस प्रकार अपशब्द की बेइज्जती सहन न किये जाने पर आत्महत्या करने एवं उस व्यक्ति को 100/– रू0 जुर्माने के तौर पर दण्ड स्वरूप भुगतने की जानकारी प्राप्त होती है।

एक और प्रकरण के अन्तर्गत सींघवी भीमराज के द्वारा वि0सं0 1814 में एक सनद जारी की गई उससे यह

स्पष्ट ज्ञात होता है कि वासावास के पास तुलसीदास की एक डावडी (दासी) जो वि0सं0 1814 में तुलसीदास से करकेडी गांव के उदावत मोहको ने 1.6 रू0 में मोल ली थी, परन्तु वह आखातीज के दिन भाग कर वापिस तुलसीदास के घर आ रही थी, कि बीच रास्ते में सामगढ के मेरो ने उस डावडी को अगवा कर लिया, इस पर तुलसीदास कहता है कि जब मेर इस डावडी को पकड ले गये तब उसे 5 रू0 में मैने वापिस ली है। तो लडकी को मैं वापिस लूंगा अर्थात मोहको को वापिस नहीं दूंगा इस पर सारी हकीकत मोहको ने श्री हजुर को मालुम कराई। इसके पश्चात हुकम हुआ कि तुलसीदास लडकी को सामगढ से छुडा कर लेकर आयेगा और यह इसी के देख–रेख में रहेगी जो पैसे (1.6) दिये थे वो वापिस मिल जायेगे आगे इस पर कोई बात नही होगी।[7] इसी प्रकार एक स्त्री पर अत्याचार होने और इससे दुखी होकर उस स्त्री द्वारा कुऐं में कूदकर जान देने का मामला भी बहियें में दृष्टिगोचर हुआ है। यथा– गांव मोहकमसींघ रा गुढा के व्रामण हरिसींघ के बेटे की बहू के साथ घर में मारपीट की जिसके बाद वह कुऐं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद उसका भाई कचेडी में आकर हरीसींघ को बुलाता है तो तीन आदमियों का घर में मौजूद होना सामने आता है। इसके बाद जुर्माना लेकर उन्हें छोड दिया गया और उन्हें पाबन्द भी किया गया।[8]

इन उदाहरणो से ज्ञात होता है कि जोधपुर के अलग–अलग क्षेत्रो में अपराध और दण्ड के अलग–अलग स्वरूप देखने को मिलते है और जिस प्रकार के निराकरण के उपाय किये गये है अधिक महत्वपूर्ण है। सनद परवाना व जोधपुर की अभिलेखीय सामग्रीयों में महिलाओं से सम्बन्धित अपराध व दण्ड के अनेको सूत्र दिखाई देते है, परन्तु इस आलेख में महिलाओं से सम्बन्धित अपराध व दण्ड की इतनी जानकारी देना समीचीन होगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार जोधपुर की विभिन्न बहीयों में अपराध एवम् दण्ड के उदाहरण मिलते है उस समय में महारानियां भी पट्टे के अधिकृत क्षेत्र में विवादों का निर्णय स्वयं विवेक के आधार पर लेती थी। इसके लिये सहयोग हेतु सेवक भी उनका साथ देते थे इन बहीयों में स्त्री दण्ड, सत्ती प्रथा, व्यापारियों के समस्या सम्बन्धित मामलों की पर्याप्त जानकारी मिलती है आज के परिप्रेक्षय में देखे तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार सुनवाई भी जल्द होकर दण्ड की व्यवस्था समय अनुसार हो जाती थी। स्त्रियों संबंधी कानून उस समय में भी सक्रिय थे केवल दण्ड का वैधानिक स्वरूप ही वर्तमान से थोडा अलग था।

अंत टिप्पणी

1 *जोधपुर कचेडी तालके हुकम रूक्का री बही (वि0सं01912) बही क्रमांक 1460, पृ0 32*
2 *वही*
3 *डॉ0 हुकुम सिंह भाटी, भाटी वंश का गौरवमय इतिहास– भाग–2*
4 *महाराजा मानसिंह की महारानी तीजा भटयाणी की हथबही क्रमांक 542 पृ0 30*
5 *सनद बही नं0 2 संवत 1822–1823 पृ0 145*
6 *सनद बही नं0 1 वि0सं0 1821*
7 *सनद परवाना बही नं0 2*
आषाढ वद 6 सोम सं. 1824 मु0।। मेडते
। तथा उदावत मोहको करकेडी रहे तिण नूं दीवानी परवानों।
। तथा गांव वासावासरै सामी तुलछीदास कनै डावडी 1 रूपीया छव में सं0 1814 में मोल लीवी थी सू हमार आखातीज नू थाहरे घर सू भाज नै तुलछीदास रै घरा आवती थी मू विच में सामगढ रा मेर पकडनै ले गया सू तुलछीदास कहै छै हूं मेरा नू पांच रूपीया देने ल्याऊ सू थे सही छो छोरी हूं ऊरी ले सू तिण ऊपर भगत सारी हकीकत श्री हजूर मालम कराई सू हुकम हूवौ छै तुलछीदास छोरी नू सामगढ सू छुडाये ल्यावसी सू ईण री न्यात मैं रेहसी थे मोल रा रूपीया दीया हूवै सू सागे उरा से जो ओर कीणी बात रो दावो करजो मती दु0 सी0।। भीवराज
8 *सनद बही आसोज वद 2 भोग 1865 रा*
। तथा इतलाक नवेस रा कागद सू समाचार श्री हजूर मालम हूवा सू इण रे हुकम हूवो है –। गांव मोहकम सिंघ रा गुढा रा ब्रांमण हरीसिंघ बेटा री बहू ने तमत दीवी ने घर में वान्नै कूटी तिण सू वा कुवै पड मुंई तरै उणा रा भाई कचैडी आय पुकारीया जद हरीसिंघ घरें तीन आदमियारी तलब कीवी नै पछै गुनैगारी लीया विनी उठांतरी कर दीवी सू इण तरै क्यूं करणी पडे हमै घर मापक गुनैगारी लेजो